

## मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاونيشنل أروويو نيورسي MAULANA AZAD NATIONAL ÜRDÜ UNIVERSITY

A Central University under Ministry of Education Government of India



#### हिन्दी प्रकोष्ठ / Hindi Cell

सं./No.MANUU/Hindi Cell/2025-26/1620

दिनांक / Date: \ 1 December, 2025

#### परिपत्र / CIRCULAR

This Circular is issued in reference to letter No.11011/4/2022- रा.भा.ए. dt.07.11.2023 received from Dept. of Higher Education, Ministry of Education, Govt. of India .

SECTION 3(3) OF OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963, both Hindi and English shall be used for all official work in the offices controlled by the Central Government.

Under section 3(3) of the Official Language Act, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and Other Reports, Press Communiqués, Administrative and Other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament, Contract, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Forms of Tender should invariably be, issued bilingually. For any violation, the officer signing such documents will be held responsible.

Accordingly, all the Deans/Heads of the Department / Section Heads / Incharge and all Hindi Pragya/Parangat passed candidates are here by requested to take note of the above provisions under Official Language Act, 1963 in regard to their official work.

In case of any assistance in Hindi, Hindi Cell may be contacted.

कुलसचिव / Registran मीलाना आजाद नेक्ष्मन उर्दू यूनिवर्सिटी Maulana Azad National Urdu University गच्चीवीली, हैदराबाद-५०० ०३२. Gachibowli, Hyderabad-500 032.

सेवा में /To All Deans/HoDs/ Principals/ Incharges of HQ/Off-Campuses Proctor, DSW, Provost(Boys & Girls)

प्रति / Copy to:

1. O/o V.C /Registrar/OSD-I/OSD-II/F.O/COE/Librarian

2. All the Hindi Pragya/Parangat passed Candidates

3. Director, CIT for uploading on University Website

4. Concerned file







भारत सरकार
शिक्षा मंत्रात्वय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 119 115
GOVERNMENT OF IMDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

सं.ई. 11011/4/2022-रा.भा.ए

दिनांक : 07.11.2023

#### कार्यालय जापन

विषयः शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संबंद/अधीनस्य कार्यालयाँ/संस्थानाँ/आयोगाँ/विश्वविद्यालयाँ/बोर्डो आदि में राजमाबा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिधित करना

- आरत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबंद/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि के लिए यह सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत उल्लिखित सभी 14 दस्तावेजों (सूची संलग्न) को द्विभाषी रूप में अर्थात हिन्दी और अंग्रेज़ी में साथ-साथ जारी करें। परंतु यह देखने में आया है कि शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कई संबंद/अधीमस्थ कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/ विश्वविद्यालयों/बोर्डी आदि में उक्त अधिनियम के उपबंधों का शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
- 2. अतएव सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहल आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करें और जारी कराते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपांतर, अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रहे। इस संबंध में तत्काल संदर्भ के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय जापन संख्या 12024/10/90-रा.भा.(ख-2), दिनांक 26 जून,

(जगदीश राम घाँरी) संयुक्त निदेशक (रा.मा.)

#### सेवा में

 शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संबंद्ध/अधीनस्य कार्यालयां/संस्थानां/ आयोगां/विश्वविद्यालयां/बोर्डा/संगठनां आदि के प्रमुख।

#### प्रतिलिपि

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा और प्रशासन), उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय को सूचनार्थ।





## धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	विवरण	particulars		
1.	सामान्य आदेश	General Orders		
2.	संकल्प	Resolution		
3.	परिपत्र	Circulars		
4.	नियम	Rules		
5.	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports		
6.	प्रेस विज्ञितियां	Press Release/Communiques		
7.	संविदाएं	Contracts		
.8.	करार	Agreements		
9.	अनुसियां	Licences		
10.	निविदा प्रारूप	Tender Forms		
11.	अनुजा पत्र	Permits		
12	निविदा स्चनाएं	Tender Notices		
13.	अधिसूचनाएं	Notifications		
14.	संसद के समक्ष् रखे जाने वाले प्रतिवेदन			
,	तथा कागज पत्र	before the Parliament		
-		400 0 0 0		

werk

事と記れ 対 12024-10:90-15-47 ( 図−2 ). 信刊本 26.6 1990

विषय:— राजभाषा अधिनियम 1963 की भाग ३८३) का अनुपालन मुनिरियत करनाः

मान वरफर के मध्ये पंजनवर्त निभागे तथ उनके संबद्ध और अधानस्य काणगांगे। उसकार आदि के लिए **यह मन्धियक अधेख दि कि** व एक्षेष्यण अधिवयम, 1963 को भाग 11 53 के अंगरेत जारी होने काले संबंध कामजान दिश्यमें रूप में वानी हिन्दी और अंक्षे**री में स्था-साम करों व**ी परन् देखने में आया है कि इसे ज़बेला को और यह चार ध्वान विताए करने पर भी खेललांदान काणबान कई कार्यानमें दूसर कंपन अंक्षेकी में ही नारी

िक्य आ ते र (नाइसेंस् पर्यास्ट करार् सविकार्ग हिन्दों में भी नेपा होतो अभिकाय है। कुछ सम्पत्ति में इस सार्व्य कारखाव का सन्दी सम्बन्ध उससे हैं से कार्ग किया आता है कि यह निर्मार्थ के जला है। इनमें से सामान्य आहे ही भी परिपाद की भी अन्य संस्कृति किया के बार्वास की आहे हान और अने परिचारित किया अन्य होता है और वहि को उसपाद हिन्दी अनुसार सार्व अहे सिन्दी अनुसार की अनुसार सार्व कार्य कार्य के प्राप्त के कार की असे का दुरूपकोग होता है यही दूरतों और अनुसार की प्राप्त सिन्दी अनुसार की महि हा प्राप्त कार की असे सार्व आप समान और असे का दुरूपकोग होता है यही दूरतों और अनुसार की प्राप्त सिन्दी के सिन्दी कार की सिन्दी की

अतः सभी बंबालक्षं, विकास अदि में अनुरोध है कि ने राजभाषा अधिनयम को धार ४(३) के लेगांत आने वाले सभी कागजान द्विकार क्य दे एक याद असे की और असे करते समय यह ध्यान रखा जाग् कि हिन्दी संयत्का, ओड़ों संपाना भे उपस्पदले रहे।

Refer



## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2025-26

# ANNUAL PROGRAMME FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI 2025-26

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

### Annual Programme for 2025-26 for use of Hindi

<u>s.no</u>	DETAILS OF WORK	'A' REGION	·	REGION	<u>'C' REGION</u>	
	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. From A to A 100 2. From A to B 100 3. From A to C 70% 4. From Region A 1 to Offices / Individual in States / UTs of A & B region	% 2. From 3. From 00% 4. From als to Office	es Individuals s / UTs of	1. From C to A 60° 2. From C to B 60° 3. From C to C 60° 4. From Region C to 6 Offices / Individuals In States / UTs of A & B region	% %
	ers received in H wered in Hindi	indi to be	100%	100%	100%	
3. Noti	ng in Hindi		80%	55 <b>%</b>	35%	
	ning Programme ough Hindl Medlui	m	75%	65 <b>%</b>	35%	
	ruitment of emplo		80%	70%	45 <b>%</b>	
6. Dictation in Hindi/ Direct Typing on Key-Board (self and by the Assistant			70%	60 <b>%</b>	35%	
7. Hind	di Training nguage, Typing/ S		100%	100%	100%	
	paration of Biling	ual	100%	100%	100%	

Expenditure for the purchase of     Hindi books etc., including	50%	50%	50%				
digital material i.e., Hindi e-books,							
hindi e-newspapers, CD/DVD,							
Pen Drive including amount							
incurred on Translation in Hindi			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
from English and Regional							
Languages out of the total							
Library grant excluding journals							
and standard reference books.	1000/	4000	4000				
10. Purchase of all electronic	100%	100%	100%				
equipment including computers							
having bilingual i.e. Hindi and							
English working facility.			<b>~</b>				
11. Website bilingual	100%	100%	100%				
<ol> <li>Citizen Charter and display of Public interface information Board bilingual</li> </ol>	100%	100%	100%				
13. (i) Inspection by Ministries/	0% (minimum)	30% (minimum)	30% (minimum)				
Departments/ Offices of their							
offices located outside their Headquarters			• •				
by the officers (DS/Dir/JS) and officers							
of OL sections (% of Offices)							
(II) Inspections of sections at 30 Headquarters.	0% (minimum)	30% (minimum)	30% (minimum)				
(III) Joint inspections by the officers	At	least one inspecti	ion in a year.				
Concerned & those of the							
Departments of Official Language of							
Foreign based Undertakings/							
Offices etc. owned or controlled							
by the Central Government.							
14. Meetings regarding Official Language							
(A) Hindi Salahakar Samiti 02 meetings in a year							
(B) Town Official Language 02 meetings in a year (One meeting in every six months)							
Implementation Committee.							
	ngs in a year	(One meeting in e	very quarter)				
Implementation Committee.							

- 15. Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literature. 100% 100% 100%
- Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/ 45% 35% 25%
   Undertakings where entire work to be done in Hindi.

(Minimum Sections)

45% in 'A' Region, 30% in 'B' Region and 20% in 'C' Region work may be done in Hindi for those Public Sector Undertakings/
Corporations where there is no concept of sections.